उपभोक्ता आन्दोलन

परियोजना कार्य

कक्षा 10

सामाजिक विज्ञान

MUKUT CLASSES

SCHOOL NAME

____

____

SCHOOL CODE-______

NAME ________

CLASS ________

SECTION ________

ROLL NO ________

SUBJECT ________

TEACHER'S NAME-___________

MUKUT
CLASSES

ACKNOWLEDGEMENT

I WOULD LIKE TO EXPRESS MY SPECIAL THANKS OF GRATITUDE TO MY TEACHER ________AS WELL AS OUR PRINCIPAL_________ WHO GAVE ME THE GOLDEN OPPORTUNITY TO DO THIS WONDERFUL PROJECT ON THE TOPIC__________ WHICH ALSO HELPED ME IN DOING A LOT OF RESEARCH AND I CAME TO KNOW ABOUT SO MANY NEW THINGS. I AM REALLY THANKFUL TO THEM.

SECONDLY I WOULD ALSO LIKE TO THANK MY PARENTS AND FRIENDS WHO HELPED ME A LOT IN FINISHING THIS PROJECT WITHIN THE LIMITED TIME.

I AM MAKING THIS PROJECT NOT ONLY FOR MARKS BUT TO ALSO INCREASE MY KNOWLEDGE.

THANKS AGAIN TO ALL WHO HELPED ME

MUKUT
CLASSES

CERTIFICATE

This is to certify that
_______ student of Class &
Section ____ has
successfully completed their
Social Science Project on
"Consumer Protection" under
the guidance of
____________.

MUKUT
CLASSES

विषय सूची

क्र० सं०	विषय वस्तु	पेज नं०
1	उद्देश्य	6
2	उपभोक्ता कौन है?	7
3	उपभोक्ता अधिकार	8
4	उपभोक्ताओं का शोषण	9
5	उपभोक्ता आन्दोलन	10
6	उपभोक्ता संरक्षण के चरण	11
7	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम	12
8	निष्कर्ष	13

उद्देश्य

- उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक करना।
- व्यवहारवादी अंतदृष्टि की समझ विकसित करना है।
- विद्यार्थियों में जीवन कौशल को विकसित करना।
- समुदायों में जागरूकता एवं तत्परता विकसित करने हेतु उन्हें समर्थ बनाना

MUKUT
CLASSES

उपभोक्ता कौन होता है ?

उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं (जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि) एवं स्थायी वस्तुएं (जैसे टेलीविजन, रेफरीजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि) सम्मिलित है। जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं, उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन सेवाएं, थियेटर सेवाएं आदि सम्मिलित है।

MUKUT
CLASSES

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ताओं को सही मापदंड और नियम के अनुसार वास्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो इसके लिए कानूनन उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते है। जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते है। उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए है :-

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना पाने का अधिकार
- चयन का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
- क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ताओं का शोषण

बाज़ार में उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीकों से किया जा सकता है जैसे:-

- अनुचित व्यापर जैसे सही वजन से कम वजन तौलकर।
- बिना पूर्व सूचना के कई प्रकार के शुल्क जोड़ देना।
- दोषपूर्ण या मिलावटी वस्तुएँ बेचना।
- भ्रामक विज्ञापन देकर।

MUKUT CLASSES

उपभोक्ता आन्दोलन

- उपभोक्ता आन्दोलन की शुरुआत सन 1960-70 के दशक में हुई।
- इस समय उपभोक्ता सम्बंधित आलेखों का लेखन और प्रदर्शन किया जाने लगा था ।
- उपभोक्ता दलों ने परिवहन में भरी भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों पर सही तौल न दिए जाने के लिए निगरानी तंत्र बनाये ।

MUKUT
CLASSES

उपभोक्ता संरक्षण के चरण

1 शिकायतें क्या-क्या हो सकती हैं?

किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पध्दति के प्रयोग करने से यदि आपको हानि/क्षति हुई है अथवा खरीदे गये सामान में यदि कोई खराबी है या फिर किराये पर ली गई/उपभोग की गई सेवाओं में कमी पाई गई है या फिर विक्रेता ने आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है। इसके अलावा यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुये जीवन तथा सुरक्षा के लिये जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

2 शिकायत कहां की जाये ?

शिकायत कहां की जाये, यह बात सामान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर यह राशि 20 लाख रूपये से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि 20 लाख रूपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रूपये से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष और यदि एक करोड़ रूपसे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें। वैबसाईट www.fcamin.nic.in पर सभी पते उपलब्ध हैं।

3 शिकायत कैसे करें?

उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ आदि का विवरण, शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज साथ ही प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिये। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिये किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इस कार्य पर नाममात्र न्यायालय शुल्क ली जाती है।

4 क्षतिपूर्ति

उपभोक्ताओं को प्रदाय सामान से खराबियां हटाना, सामान को बदलना, चुकाये गये मूल्य को वापिस देने के अलावा हानि अथवा चोट के लिये क्षतिपूर्ति। सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाने के साथ-साथ पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद-व्यय प्रदान कर राहत दी जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

- कोपरा (COPRA) का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है l
- संसद में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था l
- कोपरा के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता अदालते स्थापित की गयी है l
- जिला उपभोक्ता न्यायलय 20 लाख तक के मुकद्दमे की सुनवाई करती है l
- राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायलय 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुक़दमे की सुनवाई करती है l
- राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायलय 1 करोड़ से ऊपर के मुकदमों की सुनवाई करती है l
- नीचली अदालत में मुक़दमा हारने के बाद उपभोक्ता उपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है l
- उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि(वकील) के तौर पर मुक़दमा लड़ सकता है l

MUKUT CLASSES

निष्कर्ष

मैं उपभोक्ता अधिकार" परियोजना के अंतिम चरण में आ गया हूँ। मैंने संबंधित विषय के सभी आवश्यक बिंदुओं को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। इस परियोजना पर काम करते हुए मुझे अद्भुत और आनन्द का अनुभव हो रहा है। इस परियोजना कार्य ने मुझे ज्ञान की दुनिया में वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस परियोजना में मैंने हर कार्य को रूचिपूर्ण अंतर्मन से किया है।

MUKUT
CLASSES